प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, डूंगरपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स 478/22 दिनांक 17/12/2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7, 7ए पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)
(2) अधिनियम भा.द.स. – 120 बी धाराएं –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 326 समय 3:00 P.M.
(2) अपराध के घटने का दिन गुरूवार दिनांक 15.12.2022 समय 03.06 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 14.12.2022 समय 01.23 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल : –
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 550 किलोमीटर
(2) पता – कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर एवं अन्य।
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ......
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

<u>परिवादी</u>

(1) नाम : श्री रोहित पंचाल
(2) पिता का नाम : श्री गणेश लाल लोहार
(3) आयु : 26 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय :
(7) पताः मु.पो. मु.पो काटडी, तहसील आसपुर, पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहितः
   1. श्री हंसराज पिता श्री रामलाल जाति जाट, उम्र 32 वर्ष, निवासी प्रेमनगर पुलिस थाना प्रागपुरा जिला जयपुर हाल कोमर्शियल असिस्टेण्ट(सी.ए.), कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर।
   2. श्री बबलू गुर्जर पिता राजाराम जाति गुर्जर, उम्र 36 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट पिपलकी पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विषिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	1,10,000 रूपये	आरोपी श्री हंसराज जाट द्वारा

परिवादी श्री रोहित पंचाल से कुल 1,30,000 रूपये रिश्वत स्वरूप मांगना व दिनांक 15.12.2022 को 1,10,000 रूपये परिवादी से आरोपी श्री बबलू गुर्जर द्वारा ग्रहण करना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 1,10,000 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदयजी,

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांकः 14–12–2022 को मन् पुलिस उप अधीक्षक ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से प्रकरण संख्या 186/2022 में पीएस हेतु विचार विमर्श करने कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाडा गया हुआ था। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार ट्रेप कार्यवाही की जानी थी। जिस पर मेरे द्वारा परिवादी श्री रोहित पंचाल से जरिये दूरभाष वार्ता कर पिण्डावल बसस्टेण्ड पर उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से जरिये दूरभाष वार्ता कर मय टेप रिकार्डर के पिण्डावल पहुचने हेतु निर्देशित किया। मैं समय करीब 01.23 पीएम पर बाद विचार विमर्श कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाडा से पिण्डावल के लिए रवाना हुआ। समय करीब 03.15 पीएम पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाडा का रवानाशुदा पिण्डावल बस स्टेण्ड पहुंचा जहां पूर्व पाबन्दशुदा श्री जितेन्द्र कुमार कानि. मय टेप रिकार्डर एवं परिवादी श्री रोहित पंचाल पिता गणेश लाल लोहार उम्र 26 वर्ष निवासी काटडी मु.पो काटडी तहसील आसपुर पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर उपस्थित मिले। परिवादी श्री रोहित पंचाल द्वारा मुझे एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ''मुझ प्रार्थी रोहित पंचाल पिता गणेश लाल लोहार उम्र 26 वर्ष निवासी काटडी मु.पो काटडी तहसील आसपुर पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर का निवेदन इस प्रकार है कि पुजपुर में मेरे पिता जी के नाम से शिवम फेब्रीकेशन एण्ड बिल्डीग मटेरीयल के नाम का कारखाना हैं। जहॉ पर एसआईपी(लघु उधोग पावर) स्माल इण्डस्ट्रियल पावर विधुत कनेक्शन के लिए करीब एक माह पहले मेरे पापा के कहने पर मैंने आसपुर विधुत निगम में फाईल लगाई। आज दिनांक 14.12.2022 को में वापस पता करने आसपुर विधुत निगम कार्यालय गया तो वहॉ श्री हंसराज जाट सी.ए.।। मिले जिन्होने मुझे कहा कि तेरे कनेक्सन संबंधी फाईल में ही डील कर रहा हूँ, जो की यहां से सागवाडा, डूंगरपुर बडे अधिकारियों के पास भेजनी पडेगी। जिसकी कनेक्शन संबंधी व डिमांड संबंधी जल्दि कार्यववाही करानी हो तो खर्चा–पानी करना पडेगा। उन्होने इस काम के लिए 1,30,000 रूपये की खर्चे–पानी के रूप में रिश्वत् की मांग कर रहे हैं। मैने ये भी कहा कि कनेक्शन की डिमाण्ड राशि मैं चैक से भरूंगा तो, उन्होने कहा कि कनेक्शन डिमाण्ड राशि तो आगे से जारी होगी अभी फाईल आगे बढाने के लिए खर्चे–पानी के 1,30,000 रूपये देने पडेंगे। मैं भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत् नहीं देना चाहता हूँ एवं उसे रिश्वत् लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। '' परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर परिवादी से दरियाफ्त की गयी तो परिवादी ने बताया कि मेरे पिता जी के नाम से शिवम फेब्रीकेशन एण्ड बिल्डीग मटेरीयल के नाम का कारखाना हैं। जहॉ पर एसआईपी(लघु उधोग पावर) स्माल इण्डस्ट्रियल पावर विधुत कनेक्शन के लिए करीब एक माह पहले मेरे पापा के कहने पर मैंने आसपुर विधुत निगम में फाईल लगाई। आज दिनांक 14.12.2022 को में वापस पता करने आसपुर विधुत निगम कार्यालय गया तो वहॉ श्री हंसराज जाट सी.ए.।। मिले जिन्होने मुझे कहा कि तेरे कनेक्सन संबंधी फाईल में ही डील कर रहा हूँ, जो की यहां से सागवाडा, डूंगरपुर बडे अधिकारियों के पास भेजनी पडेगी। जिसकी कनेक्शन संबंधी व डिमांड संबंधी जल्दि कार्यववाही करानी हो तो खर्चा–पानी करना पडेगा। उन्होने इस काम के लिए 1,30,000 रूपये की खर्चे–पानी के रूप में रिश्वत् की मांग कर रहे हैं। मैने ये भी कहा कि कनेक्शन की डिमाण्ड राशि मैं चैक से भरूंगा तो, उन्होने कहा कि कनेक्शन डिमाण्ड राशि तो आगे से जारी होगी अभी फाईल आगे बढाने के लिए खर्चे–पानी के 1,30,000 रूपये देने पडेंगे। मेरे पता करने पर मुझे पता चला कि मेरे पिताजी के कनेक्शन की फाईल अभी हंसराज सी.ए. ।। के पास ही हैं, अभी डिमाण्ड हेतु उपर के अधिकारियों के पास नहीं गई हैं और ना ही डिमाण्ड जारी हुआ हैं, फिर भी 1,30,000 रूपये की मांग कर रहे हैं। मुझे यह भी पता चला कि मेरे पिताजी ने एसआईपी कनेक्शन के लिए फाईल भरी थी, लेकिन श्री हंसराज सी.ए. मेरे पापा को एनडीएस कनेक्शन देना चाह रहे हैं। परिवादी श्री रोहित पंचाल ने यह भी बताया कि श्री हंसराज सी.ए. बडे चालाक किश्म के व्यक्ति हैं, बडी होशियारी से बात कर रिश्वत् राशि मांगते हैं। जिससे मामला रिश्वत् राशि लेन–देन का पाया जाने से ब्यूरो कार्यालय में पदस्थापित कानि. जितेन्द्र कुमार से डिजिटल टेप रिकॉर्डर लेकर परिवादी को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझायी गयी। तत्पश्चात श्री जितेन्द्र कुमार कानि. एवं परिवादी श्री रोहित पंचाल का आपस में परिचय कराया गया एवं कानि. श्री जितेन्द्र कुमार मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी श्री रोहित पंचाल को मांग सत्यापन हेतु अलग–अलग मोटर साईकिल से कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर के लिए रवाना कर मैं ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर के लिए रवाना हुआ। समय करीब 07.00 पीएम पर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार मय डिजिटल टेप रिकार्डर व परिवादी श्री रोहित पंचाल उपस्थित कार्यालय आये और

कानि. श्री जितेन्द्र कुमार ने मुझको टेप रिकार्डर पेश करते हुए बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं मय डिजिटल टेप रिकार्डर एवं परिवादी के पिण्डावल से अलग–अलग मोटर साईकिल से रवाना होकर कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर जिला डूंगरपुर के पास पहुंच ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर चालू कर रिश्वत् मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु परिवादी श्री रोहित पंचाल को देकर सहायक अभियंता(पवस), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर के लिए रवाना किया। मैं कार्यालय के बाहर ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के आने की इन्तजार में रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी कार्यालय से बाहर आकर मेरे से मिला और टेप रिकार्डर मुझे दिया जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख दिया। परिवादी ने बताया कि श्री हंसराज जाट सी.ए.।। मुझे उनके कार्यालय कक्ष में मिले जिनसे मेरी रिश्वत् मांग के संबंध में वार्ता हुई जिसे मैंने टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर ली हैं। जिस पर मेरे द्वारा कानि. के पास ही खडे परिवादी से बात की तो परिवादी ने कानि. के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि श्री हंसराज सी.ए.।। एक तीस कल दे देना, बाद में बाकी के रूपयों का चैक दे देना। जिस पर उपस्थितिन के समक्ष ही टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को चला कर सुना गया तो रिश्वत् मांग संबंधी वार्ता अवश्य हुई हैं परन्तु एक बार स्पष्ट सत्यापन वार्ता आवश्यक प्रतित होने से मेरे द्वारा परिवादी को पुनः रिश्वत् मांग सत्यापन वार्ता के लिए दिनांक 15.12.2022 को समय करीब 10.00 एएम पर उसके पिताजी के निर्माणाधीन वर्कशॉप स्थित पूंजपुर पर मय रिश्वत राशि के उसके पापा सहित उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। परिवादी ने साथ ही यह भी बताया कि आरोपी बडा ही चालाक किश्म का हैं व तुरन्त ही राशि देने के लिए बोलेगा व अधिक समय नहीं देगा ऐसी स्थिति में सत्यापन के तुरन्त पश्चात् ट्रेप कार्यवाही आवश्यक प्रतित होने से कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री नारायण लाल मीणा को निर्देशित किया कि दिनांक 15.12.2022 को जिला परिषद डूंगरपुर से जरिये दूरभाष से वार्ता कर समय करीब 09.00 एएम पर दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में भिजवाने हेतु पाबन्द करावें। उसके बाद मेरे द्वारा श्री वीर विक्रम कानि. मालखाना प्रभारी से डिजिटल टेप रिकार्डर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। परिवादी को गोपनीयता रखने की हिदायत देकर रवाना किया एवं ब्यूरो कार्यालय के जाप्ते को भी दिनांक 15.12.2022 को प्रातः 8.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया।

दिनांकः 15–12–2022 समय करीब 08.00 एएम पर मेरे द्वारा कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकार्डर निकलवाया जाकर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार कानि. को सुपुर्द कर परिवादी श्री रोहित पंचाल के पिताजी के निर्माणाधीन वर्कशॉप स्थित पूंजपुर पहुंच परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत् राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया जाकर मुनासिब हिदायत दी गई। समय करीब 9.00 एएम पर पूर्व में पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री दोलतराम जाति मीणा, उम्र 31 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट तलैया, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद, डूंगरपुर, मो.न. 9602785155 एवं श्री आशिष रोत पुत्र श्री मोहनलाल जाति भील, उम्र 19 वर्ष, निवासी मुकाम राजपुर, पोस्ट पीठ, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद, डूंगरपुर, मो.न.– 7728921841 उपस्थित कार्यालय हुए। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय करीब 10.15 एएम पर मेरे द्वारा दोनों गवाहानों से ट्रेप कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु मौखिक सहमति प्राप्त की गई। श्री वीर विक्रम सिंह कानि. एवं श्री महेन्द्र सिंह कानि. को सरकारी मोटर साईकिल से परिवादी के पिताजी के निर्माणाधीन वर्कशॉप स्थित पूंजपुर के लिए रवाना कर पिछे–पिछे मैं मय स्वतंत्र गवाहान श्री प्रदीप कुमार मीणा, श्री आशिष रोत एवं ब्यूरो जाप्ता श्री धीरेन्द्र सिंह कानि., श्री बाबूलाल कानि., श्री हर्षवर्धन सिंह कानि. एवं श्री नारायण लाल स.प्र.अ. मय लेपटोप, प्रिन्टर मय आवश्यक संसाधन के टेक्सी वाहन से रवाना हुए। समय करीब 10.00 एएम पर मैं मय हमराहियानों के ब्यूरो कार्यालय से रवानाशुदा परिवादी के पिताजी के निर्माणाधीन वर्कशॉप स्थित पूंजपुर पहुंचे। जहां परिवादी श्री रोहित पंचाल, परिवादी पिताजी श्री गणेश लाल लोहार एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि.मय टेप रिकार्डर के उपस्थित मिले। परिवादी एवं उसके पिताजी का दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री प्रदीप कुमार मीणा एवं श्री आशिष रोत से आपस में परिचय कराया गया। इसके उपरांत परिवादी द्वारा दिनांक 14–12–2022 को पेश की गयी टाईपशुदा रिपोर्ट को परिवादी, परिवादी के पिताजी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनायी गयी तो परिवादी द्वारा उक्त टाईपशुदा रिपोर्ट शब्द ब शब्द सही होना स्वीकार करते हुए रिपोर्ट पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के पिताजी के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 10.33 पर श्री हंसराज जाट सी.ए. के मोबाईल नं. 8432413302 से परिवादी के मोबाईल नं. 6376518332 पर मिस कॉल आया उस समय मैं एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के पिताजी श्री गणेश लाल लोहार भी उपस्थित थे। उसके

बाद समय करीब 10.35 पर मेरे द्वारा श्री हंसराज के मोबाईल पर परिवादी के मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रख कॉल करवाया तो हंसराज ने परिवादी को बताया कि ''वो जो मैन पेज वाला फॉर्म है ना वो भर देना और तेरा एसआईपी में करवा लेना क्योकि तेरा फायदा हो जायेगा, तो परिवादी बोला कि सर वो आपके खर्चे–पानी के 1,30,000 रूपये की व्यवस्था हो गई हैं, तो हंसराज बोला कि अरे भाई ऐसी बात फोन पर नहीं होती हैं'' उक्त मांग सत्यापन वार्ता, जिसे डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री बाबूलाल कानि. से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार की गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। समय करीब 12.10 पीएम पर मेरे द्वारा रिश्वत् मांग संबंधी वार्ता अवश्य हुई हैं परन्तु एक बार स्पष्ट सत्यापन वार्ता आवश्यक प्रतित होने से परिवादी एवं परिवादी के पिताजी श्री गणेश लाल लोहार को उनकी निजी मोटरसाईकल एवं श्री जितेन्द्र सिंह कानि. मय डिजिटल टेप रिकार्डर सरकारी मोटर साईकिल के पुनः रिश्वत् मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर के लिए रवाना किये गये। समय करीब 01.25 पीएम पर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार मय डिजिटल टेप रिकार्डर व परिवादी श्री रोहित पंचाल परिवादी के पिताजी श्री गणेश लाल के निर्माणाधीन वर्कशॉप स्थित पूँजपुर पर उपस्थित आये और कानि. श्री जितेन्द्र कुमार ने मुझको टेप रिकार्डर पेश करते हुए बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं मय डिजिटल टेप रिकार्डर एवं परिवादी तथा परिवादी के पिताजी के रवाना होकर कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर जिला डूंगरपुर के पास पहुंच ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर चालू कर रिश्वत् मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु परिवादी श्री रोहित पंचाल को देकर उसके साथ उसके पिताजी को सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर के लिए रवाना किये। मैं कार्यालय के बाहर ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी व उसके पिताजी के आने की इन्तजार में रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी कार्यालय से बाहर आकर मेरे से मिला और टेप रिकार्डर मुझे दिया जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख दिया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्ता में मुख्य अंश को परिवादी एवं दोनो गवाहान के समक्ष चलाकर सुनी गई तो रिश्वत् राशि मांगने की पुष्टि हुई। दोनों गवाहान ने भी श्री हंसराज जाट के द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगने की पुष्टि की। साथ ही परिवादी ने बताया कि हंसराज रिश्वत् राशि के लिए जल्दी कर रहा हैं। इसलिए पिताजी को वहीं छोडकर मैं राशि लेने का कहकर निकला हूँ। आरोपी चतुर हैं व सतर्कता से रिश्वत् राशि ग्रहण करना चाहता हैं। उक्त तथ्य की पुष्टी सत्यापन वार्ता से भी होती हैं। अतः अतिशीघ्र ट्रेप संबंधी अग्रिम कार्यवाही आवश्यक होने से समयाभाव के चलते उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट अकब से मुर्तिब की जायेगी। समयः करीब 01.45 पीएम पर गवाहान के समक्ष मेरे द्वारा परिवादी श्री रोहित पंचाल से आरोपी श्री हंसराज जाट सी.ए.।। को दी जाने वाली रिश्वत् राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये को 220 नोट कुल राशि 1,10,0000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये व बताया कि अभी 1,10,000 रूपये की व्यवस्था ही हुई हैं।

तत्पश्चात परिवादी श्री रोहित पंचाल द्वारा पेश किये गये समस्त नोटों पर श्री हर्षवर्धन कानि. से ट्रेप बाक्स में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर दो अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त नोटों पर अलग–अलग दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री रोहित पंचाल की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री प्रदीप कुमार मीणा कनिष्ठ सहायक से लिवाई गयी। आरोपी श्री हंसराज जाट सी.ए.।। को दी जाने वाली उक्त राशि को श्री हर्षवर्धन कानि. से ही परिवादी श्री रोहित पंचाल की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री बाबूलाल कानि. से एक कॉच के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री हर्षवर्धन कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा

फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री हर्षवर्धन कानि.से निर्माणधीन वर्कशॉप स्थित गोठमउडी पूँजपुर के बाहर फिकवाया गया तथा अखबार को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्षवर्धन कानि. से ही ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री बाबूलाल कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वत राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री रोहित पंचाल को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वत् राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करें एवं रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का ईशारा करे अथवा मौका मिलने पर अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल पर मिस कॉल करने का गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। उसके बाद मेरे द्वारा ट्रेप बॉक्स में रखी फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया जाकर श्री हर्षवर्धन सिंह कानि. को सुपुर्द कर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर के लिए रवाना किया। समय करीब 02.15 पी.एम. पर परिवादी श्री रोहित पंचाल को रिश्वती राशि लेनदेन हेतु उसकी निजी मोटर साईकिल से एवं श्री धीरेन्द्र सिंह कानि. व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. को सरकारी मोटर साईकिल से परिवादी के पिताजी के निर्माणाधीन वर्कशॉप स्थित पूँजपुर से कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर के लिए रवाना करते हुए उसके पीछे–पीछे मैं मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता मय लेपटोप, प्रिन्टर मय आवश्यक संसाधन के टेक्सी वाहन से रवाना हुए। समय करीब 2.33 पीएम पर मैं मय हमराहियान के परिवादी के पिताजी के निर्माणाधीन वर्कशॉप स्थित पूँजपुर से रवाना हो कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर के आस–पास पहूँच अपने वाहनों को रोड के एक तरफ खडा करा। कार्यालय में पता किया तो श्री हंसराज जाट नहीं मिलने पर समय करीब 2.36 पीएम पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर श्री हंसराज जाट के मोबाईल पर कॉल करवाया तो श्री हंसराज जाट ने बताया कि मैं बडोदा की तरफ कही निकल गया हूँ, पैसे तेरे पापा को बताये आदमी बबलू को दे, जिसके मोबाईल नं. 9950133201 हैं, जिस पर कॉल कर पता कर कहॉ हैं। उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकॉड किया गया। उसके बाद समय करीब 2.44 पीएम पर परिवादी ने मुझको बताया कि ''मेरे मोबाईल पर श्री हंसराज जाट का कॉल आ रहा हैं। जिस पर मेरे द्वारा परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कॉल रिसीव करवाया तो हंसराज जाट ने बताया कि अभी तक तेने बबलू को कॉल क्यू नहीं किया, वो कही निकल जायेगा, तो परिवादी ने बोला कि मैं अभी कॉल करता हूँ''। उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकॉड किया गया। उसके बाद समय करीब 2.48 पीएम पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर बबलू के मोबाईल नं. 9950133201 पर कॉल करवाया गया और परिवादी ने बबलू से पूँछा कि हंसराजजी का कॉल आया क्या, तो बबलू ने कहा कि हॉ आया, तो आप

कहां हो अभी, तो बबलू ने बताया कि मैं अभी महाराजा हूँ। उक्त वार्ता को भी डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकॉड किया गया। तत्पश्चात समय करीब 2.57 पीएम पर परिवादी को टेप रिकॉर्डर चालू हालात में देकर उसकी निजी मोटरसाईकिल से लेनदेन वार्ता हेतु महाराजा होटल उदयपुर रोड आसपुर के लिए रवाना कर मैं मय हमराहियानों के अपने–अपने वाहनों से महाराजा होटल के लिए रवाना हुए। समयाभाव के चलते उक्त वार्ताओ की फर्द ट्रांसक्रिप्ट अकब से मुर्तिब की जायेगी। समय करीब 03.01 पी.एम. पर मैं मय हमराहियानों के परिवादी के पीछे–पीछे महाराजा होटल के आस–पास पहुंच अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में रहें।

तत्पश्चात परिवादी द्वारा मुझको रिश्वती राशि आरोपी द्वारा समय करीब 03.06 पीएम पर स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर किया। जिस पर मेरे द्वारा उक्त निर्धारित ईशारे से हमराहीयान को अवगत करा परिवादी के पास पहुंचे। परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मुझे पेश किया जिसे मेरे द्वारा बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया गया। परिवादी ने उपस्थितिन के समक्ष ही उसके पास खडे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये बबलूजी है। जिन्होने अभी–अभी मेरे से रिश्वत् की राशि 1,10,000 रूपये अपने हाथों से ग्रहण अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने दाहिनी जेब में रखे और इन्होने मुझसे पूछा कि कितने हैं तो मैने बताया कि 1,10,000 हैं, तो इन्होने पूछा कि बाकी, तो मैने कहा 20 कम हैं। इसके बाद इन्होने अपने मोबाईल से श्री हंसराज जाट के मोबाईल पर कॉल कर राशि प्राप्त करना बताया व मेरी भी बात करवाई तो मैने हंसराज जाट को कहा कि सर 20 हजार नी हुए उस दिन आयेंगे तब कर देंगे, तो उन्होने कहा कि वा ठीक हैं। जिस पर मेरे द्वारा स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर उस व्यक्ति को उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री बबलू गुर्जर पिता राजाराम जाति गुर्जर, उम्र 36 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट पिपलकी पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा होना बताया। जिस पर मेरे द्वारा उपस्थितिन के समक्ष ही आरोपी श्री बबलू गुर्जर को परिवादी से रिश्वत में ली गयी राशि के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि साहब हंसराज जी के कहने पर मैने लिये, किस बात के है मुझे पता नहीं। आप कहो तो हंसराज जी को मैं अभी बुला लू। जिस पर मेरे द्वारा समय करीब 03.10 पीएम पर बबलू गुर्जर के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर श्री हंसराज जाट के मोबाईल पर कॉल करवाया तो हंसराज जाट ने बताया कि ''मैं भटवाडा हूँ, बबलू ने पूछा कि आप आ रहे हो सर, तो हंसराज जाट ने बताया कि हॉ आ रहा हूँ, कहॉ हो तुम, तो बबलू ने बताया कि महाराजा हूँ मैं''। जिस पर मेरे द्वारा बबलू गुर्जर को यथा स्थिति डिटेन कर प्राईवेट गाडी में बिठाकर श्री हंसराज जाट के इन्तजार में रहें। काफी देर तक इन्तजार करने के बाद भी हंसराज जाट महाराज होटल नहीं आया, तो मेरे द्वारा गोपनीय रूप से पता करवाया गया तो पता चला कि श्री हंसराज जाट कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर पर अपने कक्ष में बैठे हैं। जिस पर मैं मय हमराहियानों एवं यथास्थिति डिटेनशुदा बबलू गुर्जर के महाराजा होटल से अपने–अपने वाहनों से रवाना हो समय करीब 04.10 पीएम पर कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर पहुंचे। जहां श्री हंसराज जाट अपने कार्यालय कक्ष में बैठा हुआ मिला। जिस पर मेरे द्वारा स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर उस व्यक्ति को उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री हंसराज पिता श्री रामलाल जाति जाट, उम्र 32 वर्ष, निवासी प्रेमनगर पुलिस थाना प्रागपुरा जिला जयपुर हाल कोमर्शियल असिस्टेण्ट(सी.ए.), कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर होना बताया। जिस पर मेरे द्वारा परिवादी श्री रोहित पंचाल की तरफ ईशारा कर श्री हंसराज जाट को पूछा कि आपने राहित पंचाल से 1,10,000 रूपये बबलू गुर्जर को किस बात के लिए दिलवायें। जिस पर श्री हंसराज जाट मौन रहा। तत्पश्चात मेरे द्वारा बबलू गुर्जर से पूछा कि तेने श्री रोहित पंचाल से पैसे क्यू लिये, तो बबलू गुर्जर ने बताया कि हंसराज जी ने मुझे कॉल करके कहा था, इसलिए मैंने पैसे लिये। जिस पर पास ही खडे परिवादी ने स्वतः ही बताया कि मेरे पिताजी के नाम से शिवम फेब्रीकेशन एण्ड बिल्डीग मटेरीयल के नाम का कारखाना हैं। जहॉ पर एसआईपी(लघु उधोग पावर) स्माल इण्डस्ट्रियल पावर विधुत कनेक्शन के लिए करीब एक माह पहले मेरे पापा के कहने पर मैंने आसपुर विधुत निगम में फाईल लगाई। दिनांक 14.12.2022 को में वापस पता करने आया तो श्री हंसराज जाट सी.ए.।। ने मुझे कहा कि तेरे कनेक्सन संबंधी फाईल में ही डील कर रहा हूँ, जो की यहां से सागवाडा, डूंगरपुर बडे अधिकारियों के पास भेजनी पडेगी। जिसकी कनेक्शन संबंधी व डिमांड संबंधी जल्दि कार्यववाही करानी हो तो खर्चा–पानी करना पडेगा। उन्होने इस काम के लिए 1,30,000 रूपये की खर्चे–पानी के रूप में रिश्वत् के मांगे।

मैने ये भी कहा कि कनेक्शन की डिमाण्ड राशि मैं चैक से भरूंगा तो, उन्होने कहा कि कनेक्शन डिमाण्ड राशि तो आगे से जारी होगी, अभी फाईल आगे बढाने के लिए खर्चे–पानी के 1,30,000 रूपये देने पडेंगे। डिमाण्ड आने पर डिमाण्ड की राशि चेक द्वारा दे देना। आज दिनांक 15.12.2022 को मैं मेरे पिताजी के साथ इनको यहां मिलने आया था, इन्होने मुझे एवं मेरे पिताजी को बताया था कि आज 1,30,000 रूपये दे दो और डिमाण्ड आने पर 1,00,00 रूपये का चेक दे देना। जिस पर हमारे द्वारा 1,10,000 रूपये की ही व्यवस्था हो पाई, जो मैं लेकर आया था, तो श्री हंसराज जी नहीं मिले तो मैने इनको कॉल किया, तो इन्होने मुझे बताया कि मैं बडोदा की तरफ निकल गया हूँ, रूपये बबलू को दे दो। जिस पर मैने 1,10,000 रूपये बबलू गुर्जर को दे दिये। जिस पर मेरे द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री प्रदीप कुमार मीणा से श्री बबलू गुर्जर की तलाशी लिवाई गई तो बबलू गुर्जर की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से 500–500 रूपये के कुछ नोट मिले। जिन्हें स्वतंत्र गवाह श्री प्रदीप कुमार मीणा से ही गिनवाये गये तो 500–500 रूपये के 220 नोट कुल 1,10,000 रूपये मिले। जिन नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोटों के नंबरों का मिलान हुबहू हुआ। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटो पर सफेद कागज मे सिलचिट कर दोनो गवाहान, परिवादी, परिवादी के पिताजी गणेश लाल एवं दोनो आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपी श्री बबलू गुर्जर द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने के उपरान्त प्रक्रियानुसार हाथ धुलाई की कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी व परिवादी के पिताजी के समक्ष प्रारम्भ करते हुए प्राइवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स को मंगवाया। ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कॉच की गिलासों को निकलवाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हे दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। एक कॉच की गिलास के घोल में आरोपी श्री बबलू गुर्जर के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनों गवाहान, परिवादी व परिवादी के पिताजी, दोनों आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री बबलू गुर्जर के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग मटमेला हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी, परिवादी के पिताजी एवं दोनों आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरांत आरोपी के पहने हुए पेंट की सामने की दाहिनी साईड के जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी की अन्य पेंट मंगवाकर पहनी हुई पेंट को ससम्मान उतरवाकर ट्रेप बॉक्स में से एक कांच का एक साफ गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री बबलू गुर्जर की पेंट की सामने की दाहिनी साईड की जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क पी–1 व पी–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी, परिवादी के पिताजी एवं दोनों आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त पेंट की सामने की दाहिनी साईड की जेब को सुखवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करा पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवायी जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् मेरे द्वारा मौके पर उपस्थित श्री अरूण कुमार पुत्र श्री विजय प्रसाद जाति चौधरी, निवासी गांव पीपराडी, पोस्ट मोरमा, पुलिस थाना रजौन जिला बांका(बिहार) हाल सहायक अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता(प.व.स.), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर से परिवादी के पिताजी के नाम विधुत कनेक्शन संबंधी फाईल की प्रमाणित प्रतियॉ चाही गई जो उनके द्वारा पेश की गई, जिनका अवलोकन किया जाकर मेरे व गवाहनों के हस्ताक्षर करवाकर शामील पत्रावली की गई। सहायक अभियंता श्री अरूण कुमार ने पूछताछ पर बताया कि पत्रावली में कनेक्शन संबंधी डिमाण्ड जारी करने के लिए यह कार्यालय स्वतंत्र रूप से सक्षम नहीं हैं। आवश्यक पूर्ति

उपरान्त पत्रावली अधिशाषी अभियंता सागवाडा को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती हैं। जहां से अधीक्षण अभियंता डूंगरपुर प्रेषित की जाती हैं। जहां से पत्रावली की स्वीकृति होने के पश्चात पुनः सागवाडा कार्यालय प्रेषित की जाती हैं। तदुपरान्त इस कार्यालय में प्राप्त होती हैं। श्री गणेश लाल के फर्म की कनेक्शन की पत्रावली अभी इस कार्यालय में ही हैं व सागवाडा स्वीकृति के लिए प्रेषित की जानी शेष हैं। श्री हंसराज जाट का कार्य पत्रावली संधारित करना व आवश्यक खाना पूर्ति करवाना हैं।

तत्पश्चात समय करीब 07.00 पी.एम. पर मैं व दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के घटना स्थल का नक्शा मोका तैयार करने हेतु कार्यालय सहायक अभियंता(प.व.स.), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर से प्राईवेट वाहन से रवाना हुआ। समय करीब 08.00 पी.एम. पर समय दोनों स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष परिवादी की निशादेही से घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल नक्शा मौका पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया जाकर मैं मय हमराहियानों के कार्यालय सहायक अभियंता(प.व.स.), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर पर उपस्थित आया। समय करीब 08.30 पी.एम. पर मैं, दोनों स्वतंत्र गवाहान, श्री जितेन्द्र कुमार कानि., श्री महेन्द्र सिंह कानि. एव आरोपी श्री हंसराज जाट के कार्यालय सहायक अभियंता(प.व.स.), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर से प्राईवेट वाहन से आरोपी श्री हंसराज जाट के किराये का मकान स्थित तेलीवाडा आसपुर की खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ। समय करीब 09.30 पी.एम. पर मैं, दोनों स्वतंत्र गवाहान, श्री जितेन्द्र कुमार कानि., श्री महेन्द्र सिंह कानि. एव आरोपी श्री हंसराज जाट के किराये का मकान स्थित तेलीवाडा आसपुर की बाद खाना तलाशी रवाना हो कार्यालय सहायक अभियंता(प.व.स.), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर पर उपस्थित आया।

तत्पश्चात समय करीब 10.00 पी.एम. पर कार्यालय सहायक अभियंता(प.व.स.), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर ग्रामीण ईलाके में होने से लाईट की कटोति चलने से राजकार्य के बाधीत होना तथा मौके की कार्यवाही भी शेष नहीं हैं। उसके बाद मैं मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, परिवादी, परिवादी के पिताजी, डिटेनशुदा आरोपीगण श्री हंसराज जाट कॉमर्शियल असिस्टेण्ट(सी.ए.), श्री बबलू गुर्जर, सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के प्राईवेट वाहन एवं सरकारी मोटर साईकिल से ब्यूरो इकाई डूंगरपुर के लिए रवाना हुए। समय करीब 11.00 पी.एम. पर मैं मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, परिवादी, परिवादी के पिताजी, डिटेनशुदा आरोपीगण श्री हंसराज जाट कॉमर्शियल असिस्टेण्ट(सी.ए.), श्री बबलू गुर्जर, सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के प्राईवेट एवं सरकारी वाहनों से ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पहुंच, उक्त कार्यवाही में मालखाना आर्टिकल, सिलचिटशुदा रिश्वती राशि इत्यादि को मालखाना प्रभारी श्री वीरविक्रम सिंह कानि को दुरूस्त हालात में संभलाये गये। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समयः करीब 11.30 पी.एम. पर दिनांक 14–12–22 को समय 04.26 पीएम पर कार्यालय सहायक अभियंता (प.व.स.), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर परिसर में परिवादी एवं आरोपी श्री हंसराज जाट के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री बाबूलाल कानि से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार की गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया।

तत्पश्चात दिनांकः 16–12–2022 समयः 12.15 ए.एम. पर दिनांक 15–12–22 को समय 12.32 पीएम पर कार्यालय सहायक अभियंता (प.व.स.), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर परिसर में परिवादी, परिवादी के पिताजी श्री गणेश लाल एवं आरोपी श्री हंसराज जाट के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री बाबूलाल कानि से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार की गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। समय करीब 02.00 ए.एम. पर दिनांक 15.12.2022 को समय करीब 02.36 पीएम पर परिवादी ने अपने

मोबाईल से आरोपी श्री हंसराज जाट के मोबाईल पर की वार्ता, जिसे डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री बाबूलाल कानि. से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार की गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। समयः 02.20 ए.एम. पर दिनांक 15.12.2022 को समय करीब 02.44 पीएम पर श्री हंसराज जाट द्वारा अपने मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर की गई वार्ता, जिसे डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री बाबूलाल कानि. से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार की गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। समयः 02.40 ए.एम. पर दिनांक 15.12.2022 को समय करीब 02.48 पीएम पर परिवादी ने अपने मोबाईल से आरोपी श्री बबलू गुर्जर के मोबाईल पर की गई वार्ता, जिसे डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री बाबूलाल कानि. से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार की गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। समय करीब 03.15 ए.एम. पर दिनांक 15.12.2022 को समय करीब 02.57 पीएम पर वक्त रिश्वत् राशि लेनदेन परिवादी व आरोपी श्री बबलू गुर्जर के मध्य आमने–सामने हुई वार्ता, जिसे डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री बाबूलाल कानि. से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार की गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। समयः 03.45 ए.एम. पर दिनांक 15.12.2022 को समय करीब 03.10 पीएम पर वक्त रिश्वत् राशि लेनदेन आरोपी श्री बबलू गुर्जर के मोबाईल से आरोपी श्री हंसराज जाट के मोबाईल पर हुई वार्ता, जिसे डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री बाबूलाल कानि. से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार की गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया।

ततपश्चात् समय करीब 04.50 ए.एम. पर अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री बबलू गुर्जर पिता राजाराम जाति गुर्जर, उम्र 36 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट पिपलकी पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 120 बी भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित होने से श्री बबलू गुर्जर को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समयः करीब 05.30 ए.एम. पर आरोपी श्री हंसराज पिता श्री रामलाल जाति जाट, उम्र 32 वर्ष, निवासी प्रेमनगर पुलिस थाना प्रागपुरा जिला जयपुर हाल कोमर्शियल असिस्टेण्ट(सी.ए.), कार्यालय सहायक अभियंता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 120 बी भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित होने से श्री हंसराज जाट को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समयः करीब 06.00 ए.एम. पर मेरे, परिवादी व परिवादी के पिताजी गणेश लाल एवं उपस्थित स्वतंत्र गवाह के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री हंसराज कोमर्शियल असिस्टेण्ट(सी.ए.), कार्यालय सहायक अभियंता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर एवं अन्य में दिनांक 14.12.2022 व दिनांक 15.12.2022 को हुई रिश्वत् मांग सत्यापन वार्ताओं एवं दिनांक 15.12.2022 को हुई लेनदेन वार्ताओं के कार्यालय के लेपटोप से सेव कर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकार्डर से सुरक्षित निकालकर मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला 8 जीबी का जिस पर एसडी एचसी लिखा हुआ को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर नियमानुसार सीलचीट किया गया। जिसकी फर्द अलग से मुर्तिब की जाकर संबंधितों

हस्ताक्षर करवाये गये। समयः करीब 06.30 ए.एम. पर मैं, परिवादी व परिवादी के पिताजी गणेश लाल एवं उपस्थित स्वतंत्र गवाह के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री हंसराज कोमर्शियल असिस्टेण्ट(सी.ए.), कार्यालय सहायक अभियंता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर एवं अन्य में आरोपी श्री हंसराज एवं आरोपी श्री बबलू गुर्जर तथा परिवादी श्री रोहित पंचाल की आपस के मध्य आपस में मोबाईल वार्ता हुई हैं। आरोपी श्री हंसराज जाट के मोबाईल की ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता होने से वजह सबुत जप्त किया गया। उक्त मोबाईल को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। जिसकी फर्द अलग से मुर्तिब की जाकर संबंधितों हस्ताक्षर करवाये गये। समयः करीब 07.00 ए. एम. पर मैं, परिवादी व परिवादी के पिताजी गणेश लाल एवं उपस्थित स्वतंत्र गवाह के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री हंसराज कोमर्शियल असिस्टेण्ट(सी.ए.), कार्यालय सहायक अभियंता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर एवं अन्य में आरोपी श्री बबलू गुर्जर एवं आरोपी श्री हंसराज जाट तथा परिवादी श्री रोहित पंचाल की आपस के मध्य आपस में मोबाईल वार्ता हुई हैं। आरोपी श्री बबलू गुर्जर के मोबाईल की ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता होने से वजह सबुत जप्त किया गया। उक्त मोबाईल को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। जिसकी फर्द अलग से मुर्तिब की जाकर संबंधितों हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात उक्त कार्यवाही के जप्तशुदा आर्टिकल, सीलचीटशुदा सीडियॉ, मेमोरी कार्ड, दोनों आरोपियों के मोबाईल इत्यादि को मालखाना प्रभारी श्री वीरविक्रम सिंह कानि को दुरूस्त हालात में संभलाये गये। उसके बाद परिवादी, परिवादी के पिताजी एवं दोनो गवाहान को मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री हंसराज जाट कॉमर्शियल असिस्टेंट एवं श्री बबलू गुर्जर का स्वास्थ्य परीक्षण करा परीक्षण रिपोर्ट शामील पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपीगण श्री हंसराज जाट कॉमर्शियल असिस्टेंट एवं श्री बबलू गुर्जर को माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर में जरिये जे.सी. रिमाण्ड पेश किया गया। जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण श्री हंसराज जाट कॉमर्शियल असिस्टेंट एवं श्री बबलू गुर्जर को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया गया। जिस पर आरोपीगणो का जे.सी. वारण्ट प्राप्त कर आरोपीगणो को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करवा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सामिल पत्रावली की गई।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि श्री हंसराज पिता श्री रामलाल जाति जाट, उम्र 32 वर्ष, निवासी प्रेमनगर पुलिस थाना प्रागपुरा जिला जयपुर हाल कॉमर्शियल असिस्टेण्ट(सी.ए.), कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर एवं श्री बबलू गुर्जर पिता राजाराम जाति गुर्जर, उम्र 36 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट पिपलकी पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा द्वारा आपस में मीलिभगत कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री रोहित पंचाल के पिताजी की फर्म के नाम विद्युत कनेक्शन संबंधी फाईल को उच्चाधिकारियों के पास भेज कर डिमाण्ड जारी करवाने एवं जल्दी कनेक्शन की स्वीकृति करवाने की एवज में रिश्वत के रूप में 1,30,000 रूपये की मांग करना एवं उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 15.12.2022 को 1,10,000 रूपये दलाल श्री बबलू गुर्जर के मार्फत ग्रहण करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है, जो कि जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 120 बी भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपीगण श्री हंसराज पिता श्री रामलाल जाति जाट, उम्र 32 वर्ष, निवासी प्रेमनगर पुलिस थाना प्रागपुरा जिला जयपुर हाल कॉमर्शियल असिस्टेण्ट(सी.ए.), कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर एवं श्री बबलू गुर्जर पिता राजाराम जाति गुर्जर, उम्र 36 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट पिपलकी पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 120 बी भा.द.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

(हेरम्ब जोशी)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
डूंगरपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हेरम्ब जोशी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त 1. श्री हंसराज पिता श्री रामलाल, कॉमर्शियल असिस्टेण्ट (सी.ए.) कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर, जिला डूंगरपुर एवं 2. श्री बबलू गुर्जर पिता श्री राजाराम (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी मुकाम पोस्ट पिपलकी, पुलिस थाना मानपुर, जिला दौसा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 478/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

17/12/22

(डॉ. विष्णु कान्त)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 4081-84 दिनांक 17.12.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. अधीक्षक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम, लि.,आसपुर, डूंगरपुर।
4. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।